रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2278] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937
No. 2278] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2015

आय-कर

का.आ. 2860(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम 1962 में, -

(I) नियम 10ख में, -

(i) उप-नियम 4 में , -

(क) "वित्तीय वर्ष से संबंधित", शब्दों के पश्चात् कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर "(इस नियम में इसके पश्चात् और 'चालू वर्ष' के रूप में नियम 10गक में निर्दिष्ट)" अत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) परंतुक में शब्द "ऐसे वित्तीय वर्ष" के स्थान पर "चालू वर्ष" रखे जाएंगे;

(ग) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

परंतु यह और कि प्रथम अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रविष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के साथ किसी अनियंत्रित संव्यवहार की तुलनीयता का विश्लेषण करते हुए पहला परंतुक लागू नहीं होगा ।";

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) किसी ऐसे मामले में जहां प्रथम अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रविष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के सन्निकट मूल्य के अवधारण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति के साथ **धा**रा 92ग की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग) या खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट पद्धति है, वहां उप-नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिदिष्ट घरेलू संव्यवहार के साथ अनियंत्रित संव्यवहार की तुलनीयता का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आंकड़े, -

(i) चालू वर्ष से संबंधित आंकड़े; या

(ii) यदि चालू वर्ष से संबंधित आंकड़े निर्धारिती द्वारा चालू वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर की विवरणी देने के समय उपलब्ध नहीं है, तो चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित आंकड़े होंगे:

परंतु जहां चालू वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण कार्यवाही के दौरान किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के सन्निकट मूल्य का अवधारण करते समय चालू वर्ष से संबंधित आंकड़े पश्चातवर्ती उपलब्ध हो, वहां ऐसे आंकड़े ऐसा अवधारण करने के लिए, इस बात पर विचार किए बिना कि सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी देते समय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, उपयोग में लाए जाएंगे ।";

(II) नियम 10ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम और दृष्टांत अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"10गक. **कतिपय मामलों में सन्निकट मूल्य की संगणना** - (1) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति के उपयोजन के कारण एक मूल्य से अधिक मूल्यों का अवधारण होता है, वहां ऐसे किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में सन्निकट मूल्य की संगणना इस नियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

(2) किसी डेटासैट का सन्निर्माण उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मूल्यों को आरोही क्रम में रखते हुए किया जाएगा और सन्निकट मूल्य का अवधारण इस प्रकार सन्निर्मित डेटासैट के आधार पर किया जाएगा:

परंतु नियम 10ख के उप-नियम (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में जहां चालू वर्ष से संबंधित आंकड़ों के आधार पर तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की पहचान की गई है और उक्त अनियंत्रित संव्यवहार का जिम्मा लेने वाले उद्यम, [उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार का जिम्मा लेने वाला उद्यम न होते हुए] चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में से एक या दोनों में वही या समान तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का जिम्मा लिया है तो, --

(i) चालू वर्ष में किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का मूल्य अवधारित करने के लिए उपयोग में लाई गई सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति पूर्वोक्त अवधि में किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों को समान रीति में लागू होगी और ऐसे अनियंत्रित संव्यवहारों के संबंध में मूल्य अवधारित किए जाएंगे ; और

(ii) उप-नियम (3) में उपबंधित रीति के अनुसार चालू वर्ष में और इससे पूर्ववर्ती पूर्वोक्त अवधि में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों के संगणित मूल्यों का भारित औसत उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मूल्य की बजाए डेटासैट में सम्मिलित किया जाएगा:

परंतु यह और कि नियम 10ख के उप-नियम (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले में जहां चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित आंकड़ों के आधार पर तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की पहचान की गई है और उक्त अनियंत्रित संव्यवहार का जिम्मा लेने वाले उद्यम, [उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार का जिम्मा लेने वाला उद्यम न होते हुए], ने उक्त वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में वही या समान तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का जिम्मा लिया है तो,

(i) ऐसे अनियंत्रित संव्यवहार के संबंध में मूल्य का अवधारण किसी समान रीति में सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति को लागू करते हुए वैसे किया जाएगा जैसे चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का मूल्य अवधारित करने के लिए लागू किया गया था; और

(ii) उप-नियम (3) में उपबंधित रीति के अनुसार दो वर्ष की पूर्वोक्त अवधि में किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों के मूल्यों के भारित औसत की संगणना उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मूल्य के बजाए डेटासैट में सम्मिलित किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां नियम 10ख के उप-नियम (5) के परंतुक के संबंध में चालू वर्ष से संबंधित आंकड़ों का उपयोग यह सिद्ध करता है कि, --

(i) उद्यम ने चालू वर्ष के दौरान वही या समान अनियंत्रित संव्यवहार ने किए हैं ; या

(ii) किसी उद्यम द्वारा चालू वर्ष में किया गया अनियंत्रित संव्यवहार तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार नहीं है,

तो, इस बात का विचार किए बिना कि ऐसे किसी उद्यम ने चालू वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में या ऐसे ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किया है, यथास्थिति, तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का मूल्य या अनियंत्रित संव्यवहार के मूल्यों का भारित औसत जिनका जिम्मा ऐसे उद्यमी द्वारा लिया गया हो, डेटासैट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(3) जहां किसी उद्यम ने एक वित्तीय वर्ष से अधिक में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं वहां उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए ऐसे संव्यवहारों के मूल्यों का भारित औसत निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) जहां नियम 10ख के उप-नियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यों का अवधारण किया गया है, वहां मूल्यों का भारित औसत बिक्री की मात्रा, जिस पर अलग-अलग मूल्यों का अवधारण करने के लिए विचार किया गया है, को समनुदेशित करते हुए भार के साथ संगणित किया जाएगा ।

(ii) जहां नियम 10ख के उप-नियम (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यों का अवधारण किया गया है, वहां मूल्यों का भारित औसत खर्चों की मात्रा, जिस पर अलग-अलग मूल्यों का अवधारण करने के लिए विचार किया गया है, को समनुदेशित करते हुए भार के साथ संगणित किया जाएगा;

(iii) जहां नियम 10ख के उप-नियम (1) के खंड (ड.) में निर्दिष्ट पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यों का अवधारण किया गया है, वहां मूल्यों का भारित औसत, यथास्थिति, उपगत खर्चों या की गई बिक्री या नियोजित की गई या की जाने वाली संपत्तियों की मात्रा, अन्य कोई आधार, जिस पर अलग-अलग मूल्यों का अवधारण करने के लिए विचार किया गया है, को समनुदेशित करते हुए भार के साथ संगणित किया जाएगा;

(4) जहां लागू की गई सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति धारा 92ग की उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (च) में निर्दिष्ट पद्धति से अन्यथा कोई पद्धति है और उप-नियम (2) के अनुसार तैयार किया गया डेटासैट छह या अधिक प्रविष्टियों से मिलकर बना है, वहां सन्निकट सीमा डेटासैट के 35वां शतमक से प्रारंभ होते हुए और डेटासैट के 65वें शतमक पर समाप्त होते हुए सन्निर्मित किया जाएगा और सन्निकट मूल्यों की संगणना उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के अनुसार की जाएगी।

(5) यदि मूल्य जिस पर किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार वास्तव में किया गया है, उप-नियम (4) में निर्दिष्ट सीमा के भीतर है, तो ऐसा मूल्य जिस पर किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार वास्तव में किया गया है सन्निकट मूल्य समझा जाएगा।

(6) यदि मूल्य जिस पर किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार वास्तव में किया गया है, उप-नियम (4) में निर्दिष्ट सन्निकट सीमा से बाहर है, तो सन्निकट मूल्य डेटासैट के औसत के रूप में लिया जाएगा

(7) उस दशा में जहां उप-नियम (4) के उपबंध् लागू नहीं होते है, सन्निकट कीमत डेटासेट में डेटासेट में सम्मलित सभी मूल्यों का अंकगणतीय माध्य होगा।

परन्तु इस प्रकार अवधारित सन्निकट कीमत और उस कीमत के बीच भिन्नता, जिसमें अंतर्राट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट **घरेलु संव्यवहार वास्तव में किए गए हैं, ऐसे प्रतितात से अधिक नहीं है, जो पचातवर्ती के तीन प्रतिशित से अधिक नहीं हे जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, वह कीमत जिस पर** अंतरराष्ट्रीय **संव्यवहार या** विनिर्दिष्ट **घरेलू वास्तव में हुए हैं, को सन्निकट कीमत माना जाएगा ।**

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) डाटा सेट का "पैंतीसवां प्रतिशतक **" जिसके मूल्य आरोही क्रम में रखे गए हैं, डाटा सेट में** न्यूनतम **मूल्य होगा मानो डाटा सेट में सम्मिलित मूल्यों का कम से कम पैंतीस** प्रतिशत **ऐसे मूल्य के समतुल्य या उससे कम है ।**

परंतु यह कि पूर्वोक्त मूल्य के समतुल्य या उससे कम मूल्य की संख्या पूर्णाक है तो पैंतीसवां प्रतिशतक ऐसे मूल्य का और डाटा सेट में इसके पश्चातवर्ती मूल्य का अंक गण्तीय माघ्य होगा;

(ख) किसी डाटा सेट का "छठा पांचवां प्रतिशतक" जिसके मूल्यों को आरोही क्रम में रखा गया है, डाटा सेट में न्यूनतम मूल्य होगा मानो डाटा सेट में सम्मिलित मूल्यों का पैंतीस प्रतिशत ऐसे मूल्य के समतुल्य या उससे कम है :

परंतु यह कि पूर्वोक्त मूल्य के समतुल्य या उससे कम मूल्यों की संख्या पूर्णांक है तो पैंसठवां प्रतिशतक ऐसे मूल्य का और डाटा सेट में इसके तुरंत पश्चातवर्ती मूल्य का अंक गणितीय माध्य होगा ;

(ग) डाटा सेट का "माध्य" जिसके मूल्यों को आरोही क्रम में रखा गया है, डाटा सेट में न्यूनतम मूल्य होगा मानो डाटा सेट में सम्मिलित कम से कम पचास प्रतिशत मूल्य ऐसे मूल्य के समतुल्य या उससे कम हो :

परंतु यह कि पूर्वोक्त मूल्य के समतुल्य या उससे कम मूल्यों की संख्या पूर्णांक है तब माध्य ऐसे मूल्य और डाटा सेट में इसके तुरंत पश्चातवर्ती मूल्य का अंक गणितीय माध्य होगा ;

दृष्टांत .1—चालू वर्ष के लिए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों या ऐसे संव्यवहारों को हाथ में लेने वाले निकायों का डाटा निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने के समय उपलब्ध है और उसके आधार पर सात उपक्रमों की पहचान चालू वर्ष में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार हाथ में लेने वालों के रूप में की गई है । सभी पहचाने गए तुलनीय उपक्रमों में चालू वर्ष के पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार भी हाथ में लिए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विधथ् को लागू करने में उपयोग किया गया लाभ स्तर उपदर्शक (पीएलआई) प्रचालन लागत की तुलना में प्रचालन लाभ है (ओपी/ओसी)। भारित औसत ओसी के भार के आधार पर नीचे संगणित अनुसार है ।

क्रम सं.	नाम	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3 [चालू वर्ष]	ओसी और ओपी का योग	भारित औसत
1	2	3	4	5	6	7
1	क	ओसी = 100 ओपी= 12	ओसी= 150 ओपी = 10	ओसी = 225 ओपी = 35	योग ओसी = 475 योग ओपी = 57	ओपी/ओसी = 12%
2	ख	ओसी = 80 ओपी= 10	ओसी= 125 ओपी = 5	ओसी= 100 ओपी = 10	योग ओसी = 305 योग ओपी = 25	ओपी/ओसी = 8.2%
3	ग	ओसी = 250 ओपी = 22	ओसी = 230 ओपी = 26	ओसी = 250 ओपी= 18	योग ओसी = 730 योग ओपी = 66	ओपी/ओसी = 9%
4	घ	ओसी= 180 ओपी = (-)9	ओसी = 220 ओपी = 22	ओसी = 150 ओपी = 20	योग ओसी = 550 योग ओपी = 33	ओपी/ओसी = 6%
5	ङ	ओसी = 140 ओपी = 21	ओसी = 100 ओपी = (-) 8	ओसी = 125 ओपी = (-) 5	योग ओसी = 365 योग ओपी = 8	ओपी/ओसी = 2.2%
6	च	ओसी = 160 ओपी = 21	ओसी= 120 ओपी = 14	ओसी = 140 ओपी = 15	योग ओसी = 420 योग ओपी = 50	ओपी/ओसी = 11.9%
7	छ	ओसी = 150 ओपी = 21	ओसी= 130 ओपी = 12	ओसी = 155 ओपी = 13	योग ओसी = 435 योग ओपी = 46	ओपी/ओसी = 10.57%

पूर्वोक्त से डाटा सेट का अर्थान्वयन नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा :

क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7
मूल्य	2.2%	6%	8.2%	9%	10.57%	11.9%	12%

सन्निकट रेंज का अर्थान्वयन करने के लिए पैंतीसवें और पैंसठवें प्रतिशतक के डाटा स्थान की संगणना नीचे दी गई रीति में की जाएगी अर्थात् :

डाटा सेट में डाटा बिन्दुओं की कुल संख्या* (35/100)

डाटा सेट में डाटा बिन्दुओं की कुल संख्या* (65/100)

अत:, पैंपीसवें प्रतिशतक का डाटा स्थान = 7*0.35 = 2.45.

चूंकि यह एक पूर्णांक नहीं है, अगला उच्चतर डाटा स्थान अर्थात् तीसरे स्थान पर कीमत को उसके नीचे कीमत के कम से कम पैंतीस प्रतिशत होना चाहिए। पैंतीस प्रतिशतक इसलिए तीसरे स्थान पर कीमत है, अर्थात् 8.2% ।

छठे-पांचवें प्रतिशतक का डाटा स्थान =7* 0.65 = 4.55 है।

चूंकि यह एक पूर्णांक नहीं, अगला उच्चतर डाटा स्थान अर्थात् पांचवे स्थान पर कीमत को उसके नीचे कीमत के कम से कम पैंसठ प्रतिशत होना चाहिए। पैंसठ प्रतिशतक इसलिए पांचवे स्थान पर कीमत है ,अर्थात् 10.57% ।

सन्निकट रेंज 8.2% पर प्रारंभ होगी और 10.57% पर समाप्त होगी।

इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के अंतरण कीमत में ओपी/ओसी प्रतिशत है, जो 8.2% के समतुल्य या उससे अधिक है या 10.57% से कम या उसके समतुल्य है, या रेंज में है। ऐसे मामलों में अंतरण कीमत को सन्निकट कीमत माना जाएगा और किसी समायोजन की अपेक्षा नहीं होगी।

तथापि, यदि अंतरण कीमत सन्निकट रेंज से बाहर है, जिसे 6.2% तब सन्निकट कीमत का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए डाटा सेट की माध्यिका कीमत को पहले निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा।

माध्यिका के डाटा स्थान की संगणना पहले *(50/100) डाटा सेट में डाटा बिन्दुओं की कुल संख्या की संगणना करके आकलित की जाएगी। इस मामले में 7* 0.5 = 3.5।

चूंकि यह एक पूर्णांक नहीं है, अगला उच्चतर डाटा स्थान अर्थात चौथे स्थान का मूल्य उसके नीचे मूल्यों (माध्यिका) का कम से कम 50 प्रतिशत होगा।

माध्यिका चौथे स्थान पर मूल्य है अर्थात् ,9% । इसलिए सन्निकट मूल्य को 9% माना जाएगा और तदनुसार समायोजन किया जाएगा।

दृष्टांत 2.—निर्धारिती द्वारा आय की रिटर्न प्रस्तुत करने के समय उपक्रम क, ग, ड.,च, और छ के संबंध में चालू वर्ष के लिए डाटा उपलब्ध है और चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष के लिए डाटा का उपयोग उपक्रम ख और उपक्रम घ द्वारा हाथ में लिए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों की पहचान करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि उपक्रमों ने सारणी में दिए गए ब्यौरों के अनुसार पहले के वर्षों में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार भी किए हैं तो भारित औसत और डाटा सेट की संगणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी।

क्रम सं.	नाम	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3 [चालू वर्ष]	ओसी और ओपी का योग	भारित औसत
1	2	3	4	5	6	7
1	क	ओसी 100 ओपी = 12	ओसी = 150 ओपी= 10	ओसी = 225 ओपी = 35	कुल ओसी = 475 कुल ओपी = 57	ओपी/ओसी = 12%
2	ख	ओसी = 80 ओपी = 10	ओसी = 125 ओपी = 5		कुल ओसी = 205 कुल ओपी = 15	ओपी/ओसी = 7.31%

3	ग	ओसी 250 ओपी = 22	ओसी = 230 ओपी = 26	ओसी = 250 ओपी = 18	कुल ओसी = 730 कुल ओपी = 66	ओपी/ओसी = 9%
4	घ		ओसी = 220 ओपी = 22		कुल ओसी = 220 कुल ओपी = 22	ओपी/ओसी = 10%
5	ङ			ओसी = 100 ओपी = (-) 5	कुल ओसी = 100 कुल ओपी = (-)5	ओपी/ओसी = (-)5%
6	च	ओसी 160 ओपी = 21	ओसी= 120 ओपी = 14	ओसी = 140 ओपी = 15	कुल ओसी = 420 कुल ओपी = 50	ओपी/ओसी = 11.9%
7	छ	ओसी 150 ओपी = 21	ओसी= 130 ओपी = 12	ओसी = 155 ओपी = 13	कुल ओसी = 435 कुल ओपी = 46	ओपी/ओसी = 10.57%

पूर्वोक्त से डाटा सेट का अर्थान्वयन नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा :

क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7
मूल्य	(-)5%	7.31%	9%	10%	10.57%	11.9%	12%

यदि निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान चालू वर्ष के लिए डाटा उपलब्ध है और ऐसे डाटा का उपयोग यहां उपदर्शित करता है कि ख कोई गुणात्मक या मात्रात्मक फिल्टर पास करने में असफल रहा है या किसी अन्य कारण से हाथ में लिया गया संव्यवहार तुलनीय अनियंत्रित संवूयवहार नहीं है, तब ख पर डाटा सेट में सम्मिलित करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रम पर उपलब्ध डाटा उपक्रम ज द्वारा हाथ में लिया गया नया तुलनीय **vfu;af=r** उपक्रम उपदर्शित करता है तब उसे शामिल किया जाएगा । भारित औसत और डाटा सेट की पुन:संगणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी :

क्रम सं .	**नाम**	**वर्ष 1**	**वर्ष 2**	**वर्ष 3 [चालू वर्ष]**	**ओसी और ओपी का योग**	**भारित औसत**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	क	ओसी= 100 ओपी= 12	ओसी = 150 ओपी= 10	ओसी = 225 ओपी = 35	कुल ओसी = 475 कुल ओपी = 57	ओपी/ओसी = 12%
2	ग	ओसी = 250 ओपी = 22	ओसी = 230 ओपी **= 26**	ओसी = 250 ओपी = **18**	कुल ओसी = 730 कुल ओपी = 66	ओपी/ओसी = 9%
3	घ		ओसी = 220 ओपी = 22	ओसी = 150 ओपी = 20	कुल ओसी = 370 कुल ओपी = 42	ओपी/ओसी = **11.35%**
4	ङ			ओसी = 100 ओपी = **(-) 5**	कुल ओसी = 100 कुल ओपी = (-)5	ओपी/ओसी = (-)5%

5	च	ओसी **=** 160 ओपी **=** 21	ओसी= 120 ओपी **= 14**	ओसी= 140 ओपी **=** 15	कुल ओसी = 420 कुल ओपी = 50	ओपी/ओसी = **11.9%**
6	छ	ओसी= 150 ओपी **=** 21	ओसी **=** 130 ओपी **= 12**	ओसी **=** 155 ओपी **=** 13	कुल ओसी = 435 कुल ओपी = 46	ओपी/ओसी = **10.57%**
7	ज	ओसी **=** 150 ओपी= 12		ओसी **= 80** ओपी **=** 10	कुल ओसी = 230 कुल ओपी = 22	ओपी/ओसी = **9.56%**

पूर्वोक्त से डाटा सेट का अर्थान्वयन नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा :

क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7
मूल्य	(-)5%	9%	9.56%	10.57%	11.35%	11.9%	12%

दृष्टांत 3.—किसी दिए गए मामले में आरोही क्रम में रखी गई 20 कीमतों का डाटा सेट नीचे दिए गए अनुसार है :

क्रम सं.	**लाभ (हजार रुपए में)**
1	**2**
1	42.00
2	43.00
3	44.00
4	44.50
5	45.00
6	45.25
7	47.00
8	48.00
9	48.15
10	48.35
11	48.45
12	48.48
13	48.50

14	49.00
15	49.10
16	49.35
17	49.50
18	49.75
19	50.00
20	50.15

दृष्टांत 1 में दिए गए सूत्र का उपयोग करके पैंतीसवें और पैंसठवें प्रतिशतक का अवधारण नीचे दिए गए अनुसार है :

पैंतीसवा प्रतिशतक स्थान =20* (35/100) = 7

पैंसठवा प्रतिशतक स्थान = 20* (65/100) = 13

चूंकि पैंतीसवां प्रतिशतक स्थान पूर्णांक है, यह सातवें और अगली उच्चतर कीमतों का औसत होगा अर्थात् आठवां स्थान। यह (47+48)/2=47,500 रुपये है ।

इसी तरह, पैंसठवा प्रतिशतक स्थान पूर्णांक है, यह तेरहवें और चौदहवें स्थान की कीमतों का औसत होगा। यह (48.5 + 49)/2 = 48,750 रुपये है।

रेंज की माध्यिका (पन्द्रहवां प्रतिशतक स्थान) = 20* (50/100) = 10

चूंकि पन्द्रहवां प्रतिशतक स्थान पूर्णांक है, यह दसवीं और अगली उच्चतर कीमतों का औसत होगा, अर्थात् ग्यारहवां स्थान। यह (48.35 + 48.45)/2 = 48,400 रुपये है।

इस प्रकार, इस मामले में सन्निकट रेंज 47,500 से 48,750 रुपये होगी।

परिणामस्वरूप कोई संव्यवहार कीमत जो 47,500 के समतुल्य या उससे अधिक है किंतु 48,750 रूपए से कम या उसके समतुल्य है, को सन्निकट रेंट के माना जाएगा।"।

[अधिसूचना सं. 83/2015 फा.सं. 142/25/2015-टीपीएल]

आरजू गरोडिया, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2791(अ) तारीख 12 अक्तूबर, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2015

INCOME-TAX

S.O. 2860(E).—In exercise of the powers conferred by Section 92C read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (16th Amendment), Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(I) in rule 10 B, -

(i) in sub-rule (4),-

(a) after the words "relating to the financial year", the brackets, words, figures and letters "(hereafter in this rule and in rule 10 CA referred to as the 'current year')" shall be inserted;

(b) in the proviso, for the words "such financial year", the words "the current year " shall be substituted;

(c) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the first proviso shall not apply while analysing the comparability of an uncontrolled transaction with an international transaction or a specified domestic transaction, entered into on or after the 1st day of April, 2014.";

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) In a case where the most appropriate method for determination of the arm's length price of an international transaction or a specified domestic transaction, entered into on or after the 1st day of April, 2014, is the method specified in clause (b), clause (c) or clause (e) of sub-section (1) of Section 92 C , then, notwithstanding anything contained in sub-rule (4), the data to be used for analysing the comparability of an uncontrolled transaction with an international transaction *or a specified domestic transaction* shall be,-

(i) the data relating to the current year ; or

(ii) the data relating to the financial year immediately preceding the current year, if the data relating to the current year is not available at the time of furnishing the return of income by the assessee , for the assessment year relevant to the current year:

Provided that where the data relating to the current year is subsequently available at the time of determination of arm's length price of an international transaction or a specified domestic transaction during the course of any assessment proceeding for the assessment year relevant to the current year, then, such data shall be used for such determination irrespective of the fact that the data was not available at the time of furnishing the return of income of the relevant assessment year.";

(II) after rule 10 C, the following rule and illustrations shall be inserted, namely:-

"10 CA. **Computation of arm's length price in certain cases**.-(1) Where in respect of an international transaction or a specified domestic transaction, the application of the most appropriate method referred to in sub-section (1) of Section 92 C results in determination of more than one price, then the arm's length price in respect of such international transaction or specified domestic transaction shall be computed in accordance with the provisions of this rule.

(2) A dataset shall be constructed by placing the prices referred to in sub-rule (1) in an ascending order and the arm's length price shall be determined on the basis of the dataset so constructed:

Provided that in a case referred to in clause (i) of sub-rule (5) of rule 10B, where the comparable uncontrolled transaction has been identified on the basis of data relating to the current year and the enterprise undertaking the said uncontrolled transaction, [not being the enterprise undertaking the international transaction or the specified domestic transaction referred to in sub-rule (1)], has in either or both of the two financial years immediately preceding the current year undertaken the same or similar comparable uncontrolled transaction then,-

(i) the most appropriate method used to determine the price of the comparable uncontrolled transaction undertaken in the current year shall be applied in similar manner to the comparable uncontrolled transaction or transactions undertaken in the aforesaid period and the price in respect of such uncontrolled transactions shall be determined; and

(ii) the weighted average of the prices, computed in accordance with the manner provided in sub-rule (3), of the comparable uncontrolled transactions undertaken in the current year and in the aforesaid period preceding it shall be included in the dataset instead of the price referred to in sub-rule (1) :

Provided further that in a case referred to in clause (ii) of sub-rule (5) of rule 10B, where the comparable uncontrolled transaction has been identified on the basis of the data relating to the financial year immediately preceding the current year and the enterprise undertaking the said uncontrolled transaction, [not being the enterprise undertaking the international transaction or the specified domestic transaction referred to in sub-rule (1)], has in the financial year immediately preceding the two financial years undertaken the same or similar comparable uncontrolled transaction then, -

(i) the price in respect of such uncontrolled transaction shall be determined by applying the most appropriate method in a similar manner as it was applied to determine the price of the comparable uncontrolled transaction undertaken in the financial year immediately preceding the current year; and

(ii) the weighted average of the prices, computed in accordance with the manner provided in sub-rule (3) , of the comparable uncontrolled transactions undertaken in the aforesaid period of two years shall be included in the dataset instead of the price referred to in sub-rule (1):

Provided also that where the use of data relating to the current year in terms of the proviso to sub-rule (5) of rule 10 B establishes that,-

(i) the enterprise has not undertaken same or similar uncontrolled transaction during the current year ; or

(ii) the uncontrolled transaction undertaken by an enterprise in the current year is not a comparable uncontrolled transaction,

then, irrespective of the fact that such an enterprise had undertaken comparable uncontrolled transaction in the financial year immediately preceding the current year or the financial year immediately preceding such financial year, the price of comparable uncontrolled transaction or the weighted average of the prices of the uncontrolled transactions, as the case may be, undertaken by such enterprise shall not be included in the dataset.

(3) Where an enterprise has undertaken comparable uncontrolled transactions in more than one financial year, then for the purposes of sub-rule (2) the weighted average of the prices of such transactions shall be computed in the following manner, namely:-

(i) where the prices have been determined using the method referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 10 B , the weighted average of the prices shall be computed with weights being assigned to the quantum of sales which has been considered for arriving at the respective prices;

(ii) where the prices have been determined using the method referred to in clause (c) of sub-rule (1) of rule 10 B , the weighted average of the prices shall be computed with weights being assigned to the quantum of costs which has been considered for arriving at the respective prices ;

(iii) where the prices have been determined using the method referred to in clause (e) of sub-rule (1) of rule 10 B, the weighted average of the prices shall be computed with weights being assigned to the quantum of costs incurred or sales effected or assets employed or to be employed, or as the case may be, any other base which has been considered for arriving at the respective prices.

(4) Where the most appropriate method applied is a method other than the method referred to in clause (d) or clause (f) of sub-section (1) of section 92 C and the dataset constructed in accordance with sub-rule (2) consists of six or more entries, an arm’s length range beginning from the thirty-fifth percentile of the dataset and ending on the sixty-fifth percentile of the dataset shall be constructed and the arm’s length price shall be computed in accordance with sub-rule(5) and sub-rule (6).

(5) If the price at which the international transaction or the specified domestic transaction has actually been undertaken is within the range referred to in sub-rule (4), then, the price at which such international transaction or the specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm’s length price.

(6) If the price at which the international transaction or the specified domestic transaction has actually been undertaken is outside the arm's length range referred to in sub-rule (4), the arm’s length price shall be taken to be the median of the dataset.

(7) In a case where the provisions of sub-rule (4) are not applicable, the arm's length price shall be the arithmetical mean of all the values included in the dataset:

Provided that, if the variation between the arm's length price so determined and price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken does not exceed such percentage not exceeding three percent. of the latter, as may be notified by the Central Government in the Official Gazette in this behalf, the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm's length price .

(8) For the purposes of this rule,-

(a) “the thirty-fifth percentile” of a dataset, having values arranged in an ascending order, shall be the lowest value in the dataset such that at least thirty five percent. of the values included in the dataset are equal to or less than such value :

Provided that, if the number of values that are equal to or less than the aforesaid value is a whole number, then the thirty-fifth percentile shall be the arithmetic mean of such value and the value immediately succeeding it in the dataset ;

(b) "the sixth-fifth percentile" of a dataset, having values arranged in an ascending order, shall be the lowest value in the dataset such that at least sixty five percent. of the values included in the dataset are equal to or less than such value:

Provided that, if the number of values that are equal to or less than the aforesaid value is a whole number , then the sixty-fifth percentile shall be the arithmetic mean of such value and the value immediately succeeding it in the dataset;

(c) "the median" of the dataset, having values arranged in an ascending order, shall be the lowest value in the dataset such that at least fifty percent. of the values included in the dataset are equal to or less than such value :

Provided that, if the number of values that are equal to or less than the aforesaid value is a whole number , then the median shall be the arithmetic mean of such value and the value immediately succeeding it in the dataset.

Illustration 1.- The data for the current year of the comparable uncontrolled transactions or the entities undertaking such transactions is available at the time of furnishing return of income by the assessee and based on the same, seven enterprises have been identified to have undertaken the comparable uncontrolled transaction in the current year. All the identified comparable enterprises have also undertaken comparable uncontrolled transactions in a period of two years preceding the current year. The Profit level Indicator (PLI) used in applying the most appropriate method is operating profit as compared to operating cost (OP/OC). The weighted average shall be based upon the weight of OC as computed below:

Sl. No.	**Name**	**Year 1**	**Year 2**	**Year 3 [Current Year]**	**Aggregation of OC and OP**	**Weighted Average**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	A	OC = 100 OP = 12	OC = 150 OP = 10	OC = 225 OP = 35	Total OC = 475 Total OP = 57	OP/OC = **12%**
2	B	OC = 80 OP = 10	OC = 125 OP = 5	OC = 100 OP = 10	Total OC = 305 Total OP = 25	OP/OC = **8.2%**
3	C	OC = 250 OP = 22	OC = 230 OP = 26	OC = 250 OP = 18	Total OC = 730 Total OP = 66	OP/OC = **9%**
4	D	OC = 180 OP = (-)9	OC = 220 OP = 22	OC = 150 OP = 20	Total OC = 550 Total OP = 33	OP/OC = **6%**
5	E	OC = 140 OP = 21	OC = 100 OP = (-) 8	OC = 125 OP = (-) 5	Total OC = 365 Total OP = 8	OP/OC = **2.2%**
6	F	OC = 160 OP = 21	OC = 120 OP = 14	OC = 140 OP = 15	Total OC = 420 Total OP = 50	OP/OC = **11.9 %**
7	G	OC = 150 OP = 21	OC = 130 OP = 12	OC = 155 OP = 13	Total OC = 435 Total OP = 46	OP/OC = **10.57%**

From the above, the dataset will be constructed as follows:

S.I. No.	1	2	3	4	5	6	7
Values	2.2%	6%	8.2%	9%	10.57%	11.9%	12%

For construction of the arm's length range the data place of thirty-fifth and sixty-fifth percentile shall be computed in the following manner, namely:

Total no. of data points in dataset * (35/100)

Total no. of data points in dataset * (65/100)

Thus, the data place of the thirty-fifth percentile = 7*0.35 = 2.45.

Since this is not a whole number, the next higher data place, i.e; the value at the third place would have at least thirty five per cent. of the values below it. The thirty-fifth percentile is therefore value at the third place, i.e, 8.2%.

The data place of the sixth-fifth percentile is = 7*0.65 = 4.55.

Since this is not a whole number, the next higher data place, i.e; the value at the fifth place would have at least sixty five per cent. of the values below it. The sixty-fifth percentile is therefore value at fifth place, i.e, 10.57%.

The arm's length range will be beginning at 8.2% and ending at 10.57%.

Therefore, if the transaction price of the international transaction or the specified domestic transaction has OP/OC percentage which is equal to or more than 8.2% and less than or equal to 10.57%, it is within the range. The transaction price in such cases will be deemed to be the arm's length price and no adjustment shall be required.

However, if the transaction price is outside the arm's length range, say 6.2%, then for the purpose of determining the arm's length price the median of the dataset shall be first determined in the following manner:

The data place of median is calculated by first computing the total number of data point in the data set * (50/100). In this case it is 7 * 0.5 = 3.5.

Since this is not a whole number, the next higher data place, i.e; the value at the fourth place would have at least fifty percent. of the values below it (median).

The median is the value at fourth place, i.e., 9%. Therefore, the arm's length price shall be considered as 9% and adjustment shall accordingly be made.

Illustration 2.- The data of the current year is available in respect of enterprises A, C, E, F and G at the time of furnishing the return of income by the assessee and the data of the financial year preceding the current year has been used to identify comparable uncontrolled transactions undertaken by enterprises B and D . Further, if the enterprises have also undertaken comparable uncontrolled transactions in earlier years as detailed in the table, the weighted average and dataset shall be computed as below:

Sl. No.	**Name**	**Year 1**	**Year 2**	**Year 3 [Current Year]**	**Aggregation of OC and OP**	**Weighted Average**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	A	OC = 100 OP = 12	OC = 150 OP = 10	OC = 225 OP = 35	Total OC = 475 Total OP = 57	OP/OC = **12%**
2	B	OC = 80 OP = 10	OC = 125 OP = 5		Total OC = 205 Total OP = 15	OP/OC = **7.31%**
3	C	OC = 250 OP = 22	OC = 230 OP = 26	OC = 250 OP = 18	Total OC = 730 Total OP = 66	OP/OC = **9%**
4	D		OC = 220 OP = 22		Total OC = 220 Total OP = 22	OP/OC = **10%**
5	E			OC = 100 OP = (-) 5	Total OC = 100 Total OP = (-)5	OP/OC = (-)5%
6	F	OC = 160 OP = 21	OC = 120 OP = 14	OC = 140 OP = 15	Total OC = 420 Total OP = 50	OP/OC = **11.9 %**
7	G	OC = 150 OP = 21	OC = 130 OP = 12	OC = 155 OP = 13	Total OC = 435 Total OP = 46	OP/OC = **10.57%**

From the above, the dataset will be constructed as follows:

S.I. No.	1	2	3	4	5	6	7
Values	(-)5%	7.31%	9%	10%	10.57%	11.9%	12%

If during the course of assessment proceedings, the data of the current year is available and the use of such data indicates that B has failed to pass any qualitative or quantitative filter or for any other reason the transaction undertaken is not a comparable uncontrolled transaction, then, B shall not be considered for inclusion in the dataset. Further, if the data available at this stage indicates a new comparable uncontrolled transaction undertaken by enterprise H, then, it shall be included. The weighted average and dataset shall be recomputed as under:

Sl. No.	**Name**	**Year 1**	**Year 2**	**Year 3 [Current Year]**	**Aggregation of OC and OP**	**Weighted Average**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	A	OC = 100 OP = 12	OC = 150 OP = 10	OC = 225 OP = 35	Total OC = 475 Total OP = 57	OP/OC = **12%**
2	C	OC = 250 OP = 22	OC = 230 OP = 26	OC = 250 OP = 18	Total OC = 730 Total OP = 66	OP/OC = **9%**
3	D		OC = 220 OP = 22	OC = 150 OP = 20	Total OC = 370 Total OP = 42	OP/OC = **11.35%**
4	E			OC = 100 OP = (-) 5	Total OC = 100 Total OP = (-)5	OP/OC = (-)5%
5	F	OC = 160 OP = 21	OC = 120 OP = 14	OC = 140 OP = 15	Total OC = 420 Total OP = 50	OP/OC = **11.9 %**
6	G	OC = 150 OP = 21	OC = 130 OP = 12	OC = 155 OP = 13	Total OC = 435 Total OP = 46	OP/OC = **10.57%**
7	H	OC = 150 OP = 12		OC = 80 OP = 10	Total OC = 230 Total OP = 22	OP/OC = **9.56%**

From the above, the dataset will be constructed as follows:

S.I. No.	1	2	3	4	5	6	7
Values	(-)5%	9%	9.56%	10.57%	11.35%	11.9%	12%

Illustration 3.- In a given case the dataset of 20 prices arranged in ascending order is as under:

Sl. No.	**Profits (in Rs. Thousands)**
1	**2**
1	42.00
2	43.00
3	44.00
4	44.50
5	45.00
6	45.25
7	47.00
8	48.00
9	48.15

10	48.35
11	48.45
12	48.48
13	48.50
14	49.00
15	49.10
16	49.35
17	49.50
18	49.75
19	50.00
20	50.15

Applying the formula given in the Illustration 1, the data place of the thirty-fifth and sixty-fifth percentile is determined as follows:

Thirty-fifth percentile place = 20* (35/100) = 7.

Sixty-fifth percentile place =20* (65 /100) = 13.

Since the thirty-fifth percentile place is a whole number, it shall be the average of the prices at the seventh and next higher, i.e; eighth place. This is (47+48) /2 =Rs. 47,500.

Similarly, the sixty-fifth percentile will be average of thirteenth and fourteenth place prices. This is (48.5+49) / 2 = Rs. 48,750

The median of the range (the fiftieth percentile place) = 20* (50/100)= 10.

Since the fiftieth percentile place is a whole number, it shall be the average of the prices at the tenth and next higher, i.e; eleventh place. This is (48.35+48.45) / 2 =Rs. 48,400.

Thus, the arm's length range in this case shall be from Rs. 47,500 to Rs. 48,750.

Consequently, any transaction price which is equal to or more than Rs 47,500 but less than or equal to Rs 48,750 shall be considered to be within the arm's length range.".

[Notification No. 83 /2015/F. No. 142/25/2015-TPL]

ARJU GARODIA, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note. The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, part III, section 3, sub-section (i), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number S.O. 2791(E), dated the 12th October, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.